


e-Stamp

- 1 Certificate No.
- 2 Certificate Issued Date
- 3 Assent Reference
- 4 Unique Doc. Reference
- 5 Purchased by
- 6 Description of Document
- 7 Property Description
- 8 Consideration Price (Rs.)
- 9 First Party
- 10 Second Party
- 11 Stamp Duty Paid By
- 12 Stamp Duty Amount (Rs.)



- 1 24-UP01-1000772880000
- 2 20-04-2020 01:43 PM
- 3 5000600 000 014181706 00000000000000
- 4 5000600 000 014181706 00000000000000
- 5 SAHAJATI DEV MANWANTHAY NECHALL, MANMANSUKARI
- 6 Area 4 Acre(s)
- 7 Not Applicable
- 8 SAHAJATI DEV MANWANTHAY NECHALL, MANMANSUKARI
- 9 Not Applicable
- 10 SAHAJATI DEV MANWANTHAY NECHALL, MANMANSUKARI
- 11 100
- 12 (One Hundred only)



## शपथ-पत्र

इस स्वैच्छतापूर्वक एवं पब्लिक नुस्तर द्वारा क्रमशः अक्टूबर एवं सितंबर 2023 में आयोजित इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी सोसाइटी, ग्राम-बन्दापा, पोस्ट-शैलापुर, जिला-गोरखपुर पिन कोड 273212 शपथपूर्वक निम्नवत् बयान करते हैं-

1. यह कि हमारी सोसाइटी द्वारा सरकारी देवी महाविद्यालय दमकी निचनौल, महानगरीय नामक विद्यालय इन फर्मेसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 में किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी के नाम दमकी निचनौल, महानगरीय में गाटा संख्या 121, 125, 137, 141 एवं 2.98 एकड़ कुल रकबा एवं 1.20 हेक्टेयर भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी खाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपरोक्त भूमि के गाटा संख्या 121, 125, 137, 141 एवं 2.98 एकड़ कुल रकबा एवं 1.20 हेक्टेयर पर उपरोक्त नाम की विद्यालय स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी की बैठक दिनांक 08.09.2020 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रथमतः विद्यालय फर्मेसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित भवनों के अनुसार किया गया है।
6. यह कि, निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।
7. यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फर्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया चूं दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही विद्यालय फर्मेसी संस्थान का ही संचालन किया जाएगा।
8. यह कि इस संस्था में फर्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया चूं दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।
9. यह कि उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फर्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया चूं दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षण संस्था एवं न्यायालयों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आईटीआई आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जाएगा।
10. यह कि संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्वासि क्वॉलिफिकेशन/प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फर्मेसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया चूं दिल्ली एवं प्राथमिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जाएगा।
11. यह कि संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की भर्ती सोसाइटी द्वारा सब प्रारंभ के पूर्व कर लिया जाएगा।
12. यह कि शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का पालन किया जाएगा। यदि ये संस्थान में किसी भी समय खालीव निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाएगी तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं पूर्ण मान्य होगा। इस संस्था में कोई भी विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करती हूँ कि ये द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना सही है। संस्था में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि ही गयी जानकारी एवं अधिलेख/दस्तावेज कच्ची, कूटांकित अथवा फुटिफा पाते हैं तो ये परिषद परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकती है। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही में स्वयं उत्तरदायी होऊंगा।

  
80 सचिव

  
80 अध्यक्ष



(80) 308-20  
Sweet Law Proj

6/20/63  
M. J. Sweet  
Criminal Law Dept.